न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

(225 आर.टी.एक्ट)

अपील सं0 :– 24/2014

उनवान

1. वेदप्रकाश पुत्र निरंजन जाति ब्राह्मण।
2. राजू पुत्र निरंजन जाति ब्राह्मण।
3. सुरेश पुत्र निरंजन जाति ब्राह्मण निवासीयान ग्राम अहीरवास पूनखर तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।

..... अपीलांट

बनाम

1. रामकरण पुत्र श्यामलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अहीर बास पूनखर तहसील मालाखेडा जिला अलवर।

..... असल रेस्पोडेन्ट

1. शैतान पुत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी ग्राम अहीर बास पूनखर तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।

.....तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–
1.श्री उमाशंकर खण्डेलवाल, अभिभाषक अपीलांट
2.श्री पवनसिंह चौहान, अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

::: निर्णय ::: **दिनांक :–29.11.2019**

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 10.10.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि असल रेस्पो0 वादी प्रार्थी ने अप्रार्थी अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 के खिलाफ धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक वाद तहत अदालत में पेश किया हुआ है जिसके साथ असल रेस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा संख्या 2636 रकबा 1.04 है0 ग्राम अहीरबास पटवार हलका पूनखर तहसील मालाखेडा जिला अलवर में स्थित है जो विवादित है। जिसमें वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण सालिम समान भाग के काबिज कृषक रिकॉर्डेड खातेदार हैं। प्रतिवादी का इस आराजी से कोई सरोकार नही है तथा विवादित आराजी पर जबरन कब्जा अतिक्रमण व निर्माण करना चाहते हैं।तहत अदालत द्वारा अपीलांट अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबंद किया गया है जिस निर्णय दिनांक 10.10. 2014 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराया तथा दावे के तथ्यों का हवाला दिया । साथ ही विवादित आराजी का विवरण दिया । विवादित आराजी खसरा नंबर 2636 रकबा 1.04 है0 ग्राम अहीर बास पटवार हलका पूनखर तहसील मालाखेडा जिला अलवर में स्थित है । विवादित आराजी बाबत् पूर्व में एक वाद भागीरथ पुत्र गंगाासहाय ब्राह्मण ने असल रेस्पो0 व तरतीबी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तहत अदालत में ही इस्तकरारहक वो हुक्मइम्तनाई दवामी का पेश किया था जो विचाराधीन है जिस वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया था जिस प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 12.05.1997 को रहन बय न करने व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने का आदेश पारित किया था जो आदेश आज तक प्रभावी चला आ रहा है तथा इस आदेश के खिलाफ किसी ने कोई अपील नही की है। इस तथ्य का उल्लेख अपीलांट ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र में किया था तथा दौराने बहस भी वकील अपीलांट ने तहत अदालत को उक्त तथ्य से अवगत कराया था। ऐसी अवस्था में प्रार्थना पत्र प्रार्थी असल रेस्पो0 खारिज होने योग्य था।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान आगे तर्क किया कि भागीरथ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तहत अदालत ने श्री भागीरथ का एक्टिव पजेशन माना था तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का कोई कब्जा काश्त होना नही माना था। ऐसी अवस्था में तहत अदालत के समक्ष स्पष्ट रूप से यह साबित था कि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही है और कानूनन गैरकाबिज शख्स के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही की जा सकती। तहत अदालत ने प्रार्थना पत्र प्रार्थी असल रेस्पो0 इस आधार पर गलत स्वीकार किया है कि अपीलांट भागीरथ के वारिसान नही है, अपितु अपीलांट भागीरथ के बहैसियत पौत्र वारिसान तथा तथा काबिज काश्तकार विवादित आराजी हैं। वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का कब्जे व मौके के खिलाफ मात्र राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज है लेकिन वास्तविक रूप से उनका विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नही है ना ही उनका कब्जा काश्त है। अपीलांट श्री भागीरथ के वारिसान हैं तथा विवादित आराजी में श्री भागीरथ के अथवा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा है या नही यह अभी तय होना बाकी है। जिसके लिये भागीरथ पूर्व में ही तहत अदालत में वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

दायर किया हुआ है।ऐसी अवस्था में प्रार्थना पत्र प्रार्थी कानूनन मैनटेनेबल नही था। निर्णय पारित करने से पूर्व तहत अदालत ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा व न्याय का संतुलन तथा ना पूर्ति होने वाली हानि के कानूनी बिन्दुओं का अलग अलग निष्कर्ष निकाल कर निस्तारण नही किया है।

अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि भागीरथ, वादी के पिता श्यामलाल, हीरालाल व रामजीलाल चारों सगे भई थे अब से करीब 68 साल पूर्व वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का पिता श्यामलाल ग्राम पूनखर छोडकर दिल्ली व धनकोट जाकर आबाद हो गया और वही उसने अपना कारोबार कर लिया और ग्राम पूनखर लौटकर नही आया। वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का जन्म भी वही पर हुआ था। उसके बाद हीरालाल भी ग्राम पूनखर छोडकर अहमदाबाद प्रांत गुजरात जाकर आबाद हो गया। चौथा भाई रामजीलाल अविवाहित था जो भागीरथ के पास रहता था जिसकी सेवा भागीरथ ने की। रामजीलाल की मृत्यु होने पर भागीरथ ने ही दाह संस्कार किया तथा उसने वसीयत भागीरथ के पुत्र मनोहरलाल के हक में की थी । आज से करीब 60 साल पूर्व हीरालाल का विवाह हुआ तब भागीरथ श्यामलाल रामजीलाल व हीरालाल का आपस में बाहमी तकासमा हो गया। उस समय श्यामलाल, हीरालाल ने विवादित आराजी व अन्य आराजी में अपना हिस्सा भागीरथ के हक में तर्क कर दिया। इस एवज में हीरालाल श्यामलाल ने भागीरथ से रूपया व जेवर प्राप्त कर लिया। रामजीलाल भागीरथ के साथ रहता था जिसने भी भागीरथ को अपना हिस्सा दे दिया। इस प्रकार संपूर्ण आराजी पर भागीरथ का कब्जा काश्त हो गया। भागीरथ ने निजी लागत लगााकर कुऐं का निर्माण किया तथा बिजली का कनेक्शन लिया। बिजली बिल की अदायगी भागीरथ करता चला आ रहा है। भागीरथ ने पेड पौधे लगाये हैं तथा हम अपीलांट के मकानात रिहायशी विवादित आराजी में बने हुये हैं। बहस के अन्त में अधिवक्ता द्वारा अपील स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

स्वयं रेस्पो0 उपस्थित। रेस्पो0 का तर्क है कि हम सालिम समान भाग के काबिज कृषक रेकॉर्डेड खातेदार हैं। अपीलांट उक्त विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अतः अपील खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तहत न्यायालय के आदेश दि0 10.10.2014 का अवलोकन किया ।

तहसीलदार मालाखेडा की कब्जे और मौके की रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा है। विवाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। अपील अंतर्गत धारा 225 में प्रथमदृष्टया यह देखा जाना आवश्यक है कि अपील के समय कब्जे, मौके व रिकॉर्ड की स्थिति क्या है?

कब्जे के संबंध में जैसा कि उपरोक्त अंकित किया गया है, तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं0 2636 पर कब्जा अपीलांट का स्थापित है जबकि वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। जिसमें अधिकारों का निर्धारण तहत अदालत द्वारा किया जाना है। विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के अनुसार कब्जाधारी को कानूनन प्रकिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। टेनेंसी एक्ट की धारा 212 द्वारा इसे बेदखल

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

नही किया जा सकता। इन्हीं तथ्यों के आधार पर तहत न्यायालय का आदेश निरस्त होने से अपील अपीलांट काबिल स्वीकार योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के आदेश दि0 10.10.2014 निरस्त किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर तहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर